

प्रेषक,
रणवीर प्रसाद,
सचिव,
उ०प्र० शासन।
सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक: २९ अप्रैल, 2021

विषय:- नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) की द्वितीय लहर से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु विभिन्न मदों/कार्यों हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-10 के पत्र संख्या-872/एक-10-2021-33(221)/2011टीसी-3, दिनांक 17.04.2021 (यथा संशोधित पत्र संख्या-872(2)/एक-10-2021-33(221)/2011टीसी-3, दिनांक 20.04.2021 एवं पत्र सं० 877/एक-10-2021-33(221)/2011 टी०सी-3 दिनांक 20.04.2021) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नोवल कोरोना वायरस(कोविड-19) की द्वितीय लहर से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु कतिपय मदों/कार्यों हेतु रु० 2,25,00,00,000/- (रुपये दो अरब पच्चीस करोड़ मात्र) की धनराशि अग्रिम रूप से जनपदों को आवंटित की गयी है।

2- कतिपय जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा कोविड-19 महामारी की गम्भीर स्थिति के दृष्टिगत शव वाहन किराये पर लिये जाने तथा उक्त आवंटित धनराशि से शव वाहन के किराये का भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- जिलाधिकारी के उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये/किराये पर लिए गए शव वाहन के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर शव वाहन किराये पर लिये जा सकते हैं तथा शव वाहन के किराये का भुगतान उक्त आवंटित/स्वीकृत धनराशि से किया जा सकेगा।

4- उपरोक्त सीमा तक उक्त शासनादेश दिनांक 17.04.2021 संशोधित समझा जाए। शासनादेश दिनांक 17.04.2021 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

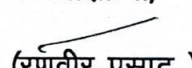
भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या:-889(1)/एक-10-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
- 2- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश
- 5- समस्त मंडलायुक्त,
- 6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग उ०प्र० शासन।
- 7- वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 8- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।